न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2013/00072 (02/2013) **दायरा दिनांक : 01.01.2013**

उनवान

रामवीर पुत्र श्री विद्यासिंह उर्फ विद्या, जाति अहीर, निवासी सहरोल, तलहटी हाल भवानीमण्डी, जिला झालावाड .... अपीलांट

बनाम

1. अनन्तकुमारी पुत्री चुखरू पत्नी फूलसिंह, जाति अहीर, निवासी सहरोड तलहटी, तहसील शाहबाद, जिला बारां
2. श्रीमती गोमतीबाई पत्नी बालू अहीर, निवासी सहरोल (मृतक)
3. विमलाबाई पुत्री बाबू, जाति अहीर हाल निवास झलेरा, तहसील सीतामऊ, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश
4. नैनीबाई पुत्री बाबू, जाति अहीर पत्नी प्रहलाद यादव, निवासी चिण्डालिया, तहसील शाहबाद, जिला बारां राजस्थान
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री देवकी नन्दन गालव अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 06.04.2026**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपजिला कलेक्टर, शाहबाद के प्रकरण संख्या – 50/98 निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2001 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम सहरोल तलहटी, तहसील शाहबाद में आराजी खसरा नं. 179 रकबा 1.02 बीघा, खसरा नं. 194 रकबा 0.11 बीघा, खसरा नं. 199 रकबा 0.18 बीघा, खसरा नं. 200 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नं. 202 रकबा 0.05 बीघा, खसरा नं. 572 रकबा 3.15 बीघा, खसरा नं. 573 रकबा 4.11 बीघा, खसरा नं. 574 रकबा 3.17 बीघा, खसरा नं. 599 रकबा 5.08 बीघा, खसरा नं. 622 रकबा 2.09 बीघा, खसरा नं. 662 रकबा 5.00 बीघा, खसरा नं. 194/1097 रकबा 0.18 बीघा कुल किता 12 कुल रकबा 29 बीघा स्थित है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अधीनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर, शाहबाद ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2001 से दावा झूठा सारहीन, आधारहीन पाये जाने के फलस्वरूप खारिज किया तथा प्रतिवादी का काउंटर क्लेम स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की। न्यायालय हाजा ने अपने प्रकरण सं0 830/2001 से अपील दर्ज कर अपने निर्णय दिनांक 08.08.2002 से अपील अपीलांट स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2001 अपास्त किया। जिसकी अपील प्रतिवादी कम 1 अनन्त कुमारी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर में द्वितीय अपील पेश की गई। माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 17.04.2012 से द्वितीय अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.08.2002 को निरस्त किया गया तथा प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ न्यायालय हाजा को प्रतिप्रेषित किया गया कि विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य की विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए, विचारण न्यायालय द्वारा कायम की गई तनकीयात पर तनकीवार विश्लेषण करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने का आदेश दिया, जिसकी पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री तथ्यों व कानून के विपरीत है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं रेकार्ड के अनुकूल नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य का सही मूल्यांकन नहीं किया। अतः निर्णय व डिक्री निरस्तीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलांट को प्रतिवादी कम 1 द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम के जवाबदेही का अवसर नहीं दिया और प्रतिवादी कम 1 के काउंटर क्लेम को गलत तरीके से स्वीकार कर लिया। यह तथ्य राजस्व रिकार्ड से पूर्ण प्रमाणित था कि श्री चुखरू के स्वर्गवास के पहले ही उसके पुत्र विद्यासिंह का स्वर्गवास हो गया था और चुखरू के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में चुखरू के पौत्र वादी रामवीर, चुखरू की पत्नी पुनिया और प्रतिवादी कम 1 अनन्त कुमारी का नाम खाते में दर्ज हो गया था। यदि विद्या लाऔलाद फौत हुआ होता तो चुखरू के स्थान पर विद्या के पुत्र रामवीर का नाम रास्वज रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ होता और पुनिया व अनन्त कुमारी ने वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने को वाद पेश होने से पहले चुनौती दी होती। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं. 1 का निर्णय करते हुए वादी का 1/4 हिस्से के बजाय 1/6 हिस्सा होना मन्जूर किया है जबकि इस बाबत कोई तथ्यात्मक विश्लेषण वाद के निर्णय में नहीं किया गया है और वादी का वादग्रस्त आराजी में हिस्सा मानते हुए भी दावा वादी खारिज करने में कानूनी भूल की है। तनकी नं. 2 का निर्णय पंचनामा रिपोर्ट पटवारी प्रदर्श डी 1 तारीखी 28.11.1999 जो वाद के दौरान चुखरू की मृत्यु के कई साल बाद फर्जी बनवायी हुई स्पष्ट प्रतीत हो रही है, उस पर भरोसा करके कानूनी गलती की है। तनकी का निर्णय गलत किया गया है। तनकी

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

नं. 3 का निर्णय करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। बंटवारे के दावे में रेकार्डेड सहखातेदारों का कब्जे का कोई विवाद नहीं होते हुए तथा इस तथ्य को विवाद के निर्धारण में कोई आवश्यकता नहीं होते हुए तनकी का निर्माण व निर्णय दोनों गलत किया है। नाबालिग वादी के हकूक के बाबत अधीनस्थ न्यायालय संवेदनशील नहीं रहा है और निर्णय कानूनी प्रावधानों के कतई विपरीत है। निर्णय और डिक्री इसलिए भी निरस्तनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त विवादित आराजी पर अनन्त कुमारी को खातेदार गलत तरीके से घोषित किया है। प्रतिवादीकम 2 ता 4 का हिस्सा क्यों समाप्त किया गया इसका कोई कारण उल्लेखित नहीं किया गया है। अतः निर्णय व डिक्री मंसुख किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट वादी स्वीकार की जाकर निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय खारिज फरमाते हुए दावा वादी डिक्री फरमाते हुए वादग्रस्त आराजियात में वादी का 1/4 हिस्सा वादी के खाते दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट रामवीर ने 1998 में दावा पेश किया था। राजस्व रिकार्ड में अनन्त कुमारी के पिता चुखरू का वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा था। चुखरू के स्वर्गवास के पहले ही उसके पुत्र विद्यासिंह का स्वर्गवास हो गया था और चुखरू के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में चुखरू के पौत्र वादी रामवीर, चुखरू की पत्नी पुनिया और प्रतिवादी कम 1 अनन्त कुमारी का नाम खाते में दर्ज हो गया था। विद्या लाऔलाद फौत हुआ। विद्या की पत्नी सावित्री ने नाता विवाह किया। अनन्त कुमारी का विवाह पिता के ही गांव में किया गया। चुखरू की पत्नी ने रामवीर को अपने रिश्तेदारी में भेज दिया। रामवीर ने वादग्रस्त आराजी के 1/4 हिस्से के बंटवारे का दावा किया। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा खारिज किया और अनन्तकुमारी को सम्पूर्ण आराजी का खातेदार घोषित किया। अनन्त कुमारी ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाबदावे के साथ काउंटर क्लेम पेश किया कि रामवीर विद्या का बेटा नहीं है। मैं चुखरू की एकमात्र वारिस हूं। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में तीन तनकी बनायी है। अधीनस्थ न्यायालय में पेश काउंटर क्लेम का जवाब देने का हमें समुचित अवसर नहीं दिया गया। एक्जीविट डी 1 पटवारी पंचनामा है। नाबालिक के रूप में रामवीर का नाम दर्ज है जिसकी वली दादी है। यदि रामवीर विद्या का पुत्र नहीं है तो अनन्त कुमारी को सिविल न्यायालय में विद्या के वारिस की घोषणा का दावा करना चाहिए था। हमे वादग्रस्त आराजी में 1/6 हिस्सा दिया

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जाये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त किया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट द्वारा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् दावा पेश कर कथन किया है कि ग्राम सहरोल तलेटी, तहसील शाहबाद, जिला बारां में आराजी कुल किता 12 रकबा 29 बीघा स्थित है। उक्त आराजियात राजस्व रिकार्ड में वादी, प्रतिवादी क्रम 1 एवं पुनिया बेवा चुखरू (वादी की दादी मां) के हिस्से में 1/2 तथा शेष 1/2 आराजी प्रतिवादी क्रम 2 ता 4 के हिस्से में दर्ज है। वादी का दादी मां पुनिया बेवा चुखरू का देहांत हो चुका है। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 उनके वैधानिक वारिस है। इस प्रकार वादी का विवादित आराजियात में 1/4 हिस्सा निहित है। वादी राजस्व रेकार्ड में अपना हिस्सा 1/4 को विभाजित कराकर पृथक खाता कराने का हकदार है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि विवादित आराजियात में से 1/4 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम पृथक खाता दर्ज करने बाबत् डिक्री विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित फरमावे।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी क्रम 1 अनन्त कुमारी की जर्ये अधिवक्ता जवाब दावा (काउन्टर क्लेम) पेश कर कथन किया गया कि विवादित आराजी के मूल खातेदार चुखरू व बालू पुत्र शोभाराम थे। चुखरू व उसकी पत्नी फौत हो चुके है। चुखरू का 1 पुत्र विद्या भी लाऔलाद फौत हो चुका है। चुखरू व पुनिया की एकमात्र वारिस अनन्त कुमारी पुत्री है जो विवादित भूमि पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। विद्या की शादी सावित्री से हुई थी तथा विद्या के लाओलाद फोत हो जाने के पश्चात 25 वर्ष पूर्व भवानीमण्डी, जिला झालावाड में नाते चली गई। सावित्री से विद्या की कोई औलाद नहीं हुई है। नातेशुदा पति से वादी रामवीर का जन्म हुआ है। इस प्रकार वादी विद्या व चुखरू की जमीन जायदाद का हकदार नहीं है। अतः वाद सर्वथा झूठा व आधारहीन होने के कारण खारिज किया जाये।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2001 से वाद वादी खारिज किया तथा प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार करते हुए अनन्त कुमारी चुखरू की एक मात्र वारिस होने के कारण विवादित आराजी पर अनन्त कुमारी या अन्ना कुमारी को खातेदार घोषित किया जाने के आदेश पारित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2001 से अप्रसन्न होकर वादी अपीलांट ने न्यायालय हाजा में

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रकरण संख्या 830/2001 से दिनांक 07.09.2001 को अपील दायर की। न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 08.08.2002 से अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2001 अपास्त किया गया तथा अपीलांट का वादग्रस्त भूमि में 1/6 हिस्सा विभाजन कर पृथक से राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि उपर्युक्त निर्णयानुसार संबंधित तहसीलदार से विभाजन स्कीम प्राप्त कर विभाजन स्कीम पर दोनों पक्षों को सुनकर प्रकरण में अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करने के आदेश दिये गये।

न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 08.08.2002 से अप्रसन्न होकर प्रतिवादी कम 1 अनन्त कुमारी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर में द्वितीय अपील पेश की गयी। माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 17.04.2012 से द्वितीय अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.08.2012 को निरस्त किया गया तथा प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ न्यायालय हाजा को प्रतिप्रेषित किया गया कि विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजी एवं मौखिक साक्ष्य की विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए, विचारण न्यायालय द्वारा कायम की गयी तनकीयात पर तनकीवार विश्लेषण करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने का आदेश दिये।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं पक्षकारान की ओर से गवाहों के बयान का अवलोकन किया। वादी अपीलांट की ओर से पी.डब्ल्यू. 1 के रूप में स्वयं रामवीर वादी के एवं पी.डब्ल्यू. 2 के रूप में सावित्री के बयान कराये गये। प्रतिवादी रेस्पोडेंट कम 1 की ओर से डी.डब्ल्यू. 1 प्रतिवादिया कम 1, डी.डब्ल्यू. 2 भैरालाल पुत्र मोहनसिंह, डी.डब्ल्यू. 3 माना पुत्र हरनाथ, डी.डब्ल्यू. 4 डबलू नाई व डी.डब्ल्यू. 5 में नत्था पुत्र रामलाल भोई के बयान दर्ज कराये गये। वादी अपीलांट द्वारा राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी संवत 2044–2047 प्रदर्श पी.1 पेश की गई। प्रतिवादी रेस्पोडेंट कम 1 की ओर से नकल जमाबंदी संवत 2052–2055 प्रदर्श डी–2, पटवारी द्वारा दिनांक 28.11.1999 को तैयार किया गया पंचनामा प्रदर्श डी 1 पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कायम की गई तनकीयात का विधिवत विवेचन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं पक्षकारान द्वारा कराये गये गवाह बयानात के आधार पर निम्नानुसार है :–

तनकी नं. 1 आया विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते की है जिसमें वादी का हिस्सा 1/4 है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत 2044–2047 प्रदर्श पी–1 एवं नकल जमाबंदी संवत 2052–2055 प्रदर्श डी 2 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से में सहखातेदार दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी तनकी नं. 1 के विवेचन में वादी अपीलांट का 1/6 हिस्सा माना है। राजस्व रेकार्ड में अपीलांट का नाम बतौर नाबालिक दर्ज हुआ है और उसकी वलि पुनिया को दर्शाया गया है इससे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि अपीलांट का नाम राजस्व रिकार्ड में विद्या की मां के जीवनकाल में दर्ज हो गया था। अपीलांट चखरू के वारिस विद्या का पुत्र है या नहीं इस सन्दर्भ में वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक बयानों में विरोधाभासी कथन दर्ज है। अपीलांट विद्या का पुत्र/उत्तराधिकारी है या नहीं इस प्रश्न को निर्णित करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय का है। राजस्व रिकार्ड प्रदर्श पी 1 एवं डी 2 में वादी अपीलांट का नाम पूर्व में ही दर्ज रिकार्ड है। अतः राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वादी अपीलांट वादग्रस्त आराजी में अपना 1/6 हिस्सा विभाजन करवाकर पृथक खाते दर्ज कराने का अधिकारी है। अतः यह तनकी राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी अपीलांट के 1/6 हिस्से तक वादी अपीलांट के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 2 आया वादी मृतक विद्या का पुत्र नहीं है ? इसका दावे पर क्या असर होगा ?

वादी अपीलांट ने स्वयं को विद्या का पुत्र होना बताते हुए वाद दायर किया है। वादी मृतक विद्या का पुत्र है या नहीं इस प्रश्न को निर्णित करने का अंतिम क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। वादी अपीलांट को विद्या पुत्र भी नहीं माना जावे तब भी उसका नाम विवादित आराजी के 1/2 हिस्से में अपनी नाबालिक अवस्था से ही बतौर सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है। सहखातेदार पूनिया की मृत्यु के बाद उसका हिस्सा अपीलांट को मिलेगा या नहीं यह इस तथ्य पर निर्भर करता है कि अपीलांट विद्या का पुत्र सक्षम न्यायालय में घोषित होता है या नहीं। रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा प्रस्तुत पंचनामा एवं गवाहों के मौखिक बयानों के आधार पर अपीलांट को विद्या का पुत्र नहीं होना मानने में अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। प्रतिवादी रेस्पोडेंट कम 1 का काउंटर क्लेम इस तथ्य पर निर्भर करता है कि अपीलांट विद्या का पुत्र है या नहीं जिसको निर्णित कराने के लिये रेस्पोडेंट कम 1 सक्षम सिविल न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। अतः तनकी नं. 2 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 3 आया वादी का विवादित आराजी पर कब्जा नहीं है ? इसका दावे पर क्या असर होगा ?

अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं. 3 के विवेचन में वादग्रस्त भूमि पर वादी अपीलांट का कब्जा नहीं होना माना है किन्तु इसका विभाजन के दावे पर कोई असर नहीं होता है

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

क्योंकि अपीलांट प्रदर्श पी 1 एवं डी 2 के अनुसार विवादित आराजी का रिकार्डेड सहखातेदार है। एक सहखातेदार का धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विभाजन का दावा दर्ज कराने एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हिस्से अनुसार विवादित आराजी का विभाजन करवा कर खाता पृथक दर्ज कराने का अधिकार प्राप्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं. 3 का विवेचन करने में त्रुटि की है। तनकी नं. 3 राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी अपीलांट के 1/6 हिस्से तक वादी अपीलांट के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण सं. 50/98 में पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2001 खारिज की जाती है तथा अपीलांट का वादग्रस्त भूमि में दर्ज 1/6 हिस्सा विभाजन कर पृथक खाता राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली परीक्षण न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उपरोक्त निर्णयानुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर सम्बन्धित तहसीलदार से राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर विभाजन प्रस्ताव पर दोनों पक्षों को सुनकर प्रकरण में निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.05.2026 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/04/2026

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

रामवीर पुत्र श्री विद्यासिंह उर्फ विद्या, जाति अहीर, निवासी सहरोल, तलहटी हाल भवानीमण्डी, जिला झालावाड
.... **अपीलांट**

बनाम

1. अनन्तकुमारी पुत्री चुखरू पत्नी फूलसिंह, जाति अहीर, निवासी सहरोड तलहटी, तहसील शाहबाद, जिला बारां
2. श्रीमती गोमतीबाई पत्नी बालू अहीर, निवासी सहरोल (मृतक)
3. विमलाबाई पुत्री बाबू, जाति अहीर हाल निवास झलेरा, तहसील सीतामऊ, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश
4. नैनीबाई पुत्री बाबू, जाति अहीर पत्नी प्रहलाद यादव, निवासी चिण्डालिया, तहसील शाहबाद, जिला बारां राजस्थान
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद, जिला बारां

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं **2013/00072 (02/2013)**
मु.द.नं0 **50/98**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपजिला कलेक्टर, शाहबाद**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **12.07.2001**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **25 माह 03** सन् **2026**

श्री **देवकी नन्दन गालव** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, **रेस्पोडेंट अनुपस्थित।**

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण सं. 50/98 में पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2001 खारिज की जाती है तथा अपीलांट का वादग्रस्त भूमि में दर्ज 1/6 हिस्सा विभाजन कर पृथक खाता राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली परीक्षण न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उपरोक्त निर्णयानुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर सम्बन्धित तहसीलदार से राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर विभाजन प्रस्ताव पर दोनों पक्षों को सुनकर प्रकरण में निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.05.2026 को उपस्थित होवे।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **06 माह 04 सन् 2026** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)